(17)

संख्या– /XXVIII–5–2011–25/2006, टी0सी0–।

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 12 मई, 2011

विषयः **ट्रांजिट हास्टल, गोपेश्वर, जनपद चमोली के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–126/XXVIII–5–2006–25/2006, दिनांक 23.02.2006 तथा आपके पत्र सं0–7प/1/ट्रांजिट हास्टल/15/2005/4971, दिनांक 21.02.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य योजना के अन्तर्गत ट्रांजिट हास्टल, गोपेश्वर, जनपद चमोली के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि ₹157.54 लाख के विरूद्ध पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹116.00 के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2011–12 में अवशेष सम्पूर्ण धनराशि ₹41.54 लाख (रूपये इकतालिस लाख चौवन हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए, निम्न शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– उक्त धनराशि तत्काल आहरित कर निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम, गोपेश्वर, चमोली को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा अवशेष कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण कर इसी वित्तीय वर्ष में भवन विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा। किसी भी विलम्ब की दशा में आगणन पुनरीक्षित पर विचार नहीं किया जायेगा ।

2– धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि सम्बन्धित योजना में मूल स्वीकृति की समयसीमा लागत, लक्षित परिणामों के अनुरूप प्रगति हो रही हो। धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व समुचित स्तर पर योजना के सम्बन्ध में सघन मूल्यांकन/परीक्षण किया जायेगा।

3– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति निमयावली के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।

6– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8– कार्यदायी संस्था को धनराशि उपलब्ध कराये जाने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.08 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एम0ओ0यू0 करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\...

9— योजना को समय से पूर्ण न किये जाने के संबंध में Time over run हेतु संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

10— स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0—209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31.03.2011 में इंगित निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

11— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय—व्ययक वर्ष 2011—12 के अनुदान सं0—12 लेखाशीर्षक 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 00—आयोजनागत, 01—शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 110—अस्पताल तथा औषधालय, 14 आवासीय भवनों की व्यवस्था, 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

12— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0— 24(पी0)/XXVII(3)/2011—12, दिनांक 10मई, 2011 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

संख्या—690 (1)/XXVIII—5—2011—25/2006 टी0सी0— I, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
3— अपर सचिव, मा0 मुख्यमंत्री
4— जिलाधिकारी, चमोली।
5— वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6— मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली।
7— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/ चमोली।
8— निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निर्माण निगम लि0 गोपेश्वर।
9— बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
10— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0—3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11— मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
12— गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।